

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F4(ई)द्वितीय एसीपी / पार्ट-III / अलेसे-III /

दिनांक:-

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,
पंचायत समिति, कोटपूतली (जयपुर)

विषय:- श्री करण सिंह, कनिष्ठ लेखाकार को द्वितीय एसीपी स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्र संख्या 68 दिनांक 13.04.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री करण सिंह, कनिष्ठ लेखाकार को जारी दो दण्डादेश के कारण प्रथम एसीपी दो वर्ष देरी से अर्थात् दिनांक 28.06.2007 से स्वीकृत की गई है जिस कारण द्वितीय एसीपी 28.06.2016 से पूर्व स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रकरण लौटाकर लेख है कि कार्मिक को द्वितीय एसीपी स्वीकृति हेतु प्रकरण यथा समय भिजवाने का श्रम करावें।

भवदीय

(प्रदीप माथुर)

संयुक्त निदेशक(कार्मिक-III)

क्रमांक :- F4(ई)द्वितीय एसीपी / पार्ट-III / अलेसे-III / 146

दिनांक:- 9-5-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।

2. उपनिदेशक(एसीपी), विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)